न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–218/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/218)

1. रामी पत्नी रामाकिशन
2. शिवचंद पुत्र मिट्ठू

   दोनों जाति जाट, निवासी कल्याणीपुरा वाया कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. हरिराम पुत्र रामधन
2. जगदीश पुत्र रामधन
3. श्योजी पुत्र रामधन
4. श्रीमती गंगा पत्नी रामधन

   समस्त जाति जाट, निवासी नीमणों की ढाणी पींगलोद, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
5. चूकादेवी पत्नी नाथू
6. संजूदेवी पुत्री नाथू
7. सुरेश पुत्र नाथू) नाबालिग जरिए प्राकृतिक
8. रिछपाल पुत्री नाथू) संरक्षिका माता चूकादेवी
9. समोदर देवी पुत्री नाथू) पत्नी नाथू
10. श्योजीराम पुत्र धन्ना

    समस्त जाति जाट, निवासी पींगलोद, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
11. बालकिशन पुत्र हीरादास
12. सत्यनारायण पुत्र हीरादास
13. सर्वेश्वर पुत्र हीरादास
14. राजेश कुमार पुत्र हीरादास
15. रेणुदेवी पत्नी सर्वेश्वर
16. सिम्पीदेवी पत्नी राजेश कुमार

    समस्त जाति साधू, निवासी पींगलोद, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
17. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कुचील तहसील किशनगढ जिला अजमेर जरिए शाखा प्रबंधक।
18. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सलेमाबाद तहसील किशनगढ जिला अजमेर जरिए शखा प्रबंधक।
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.07.2022 राजस्व वाद संख्या 25/2018.</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

उपस्थितः—
1. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री एस.पी.औझा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 19.
4. रेस्पोडेंट संख्या 5 से 18 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 21.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संसख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 4 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 382 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 383 रकबा 7 बिस्वा गैरमुमकिन चाह, खसरा नम्बर 384 रकबी 45 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 46 बीघा भूमि में कृषि कार्य हेतु आने–जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम पींगलोद से कल्याणीपुरा जानेवाली रोड़ खसरा नम्बर 409 मुख्य रोड़ से पश्चिम दिशा की ओर से खसरा नम्बर 418, 419, 426/1, 511/426, 425 की कृषि आराजीयात के दक्षिण सींव के सहारे–सहारे चल कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4/प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 382, 383, 384 पर आने–जाने हेतु कम से कम 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान करावे। दिनांक 01.07.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 16 द्वारा खसरा नम्बर 425 की आराजी में जो रास्ता उपयोग–उपभोग में आ रहा था उसे पुरी तरह बंद कर दिया जिससे रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 429, 427, व 430 के खातेदारो से हाथा–जोड़ी करके आने–जाने हेतु रास्ता की मांग की जाकर आवागमन किया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1लगायत 4 आराजी खसरा नम्बर 418, 419, 426/1, 511/426, 425 में 20 फुट चौड़ा रास्ता खातेदारी की आराजी में आने–जाने हेतु प्रदान किया जावें। उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गए। अपीलांटस/अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोडेंट संख्या 5 लगायत 16 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 418, 419 में से आवागमन का रास्ता भी नहीं रहा है जिससे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र असत्य व निराधार होने से निरस्त कियां जावे तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण के पास मौके पर वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 420 से होकर खसरा नम्बर 423, 424, 386 में होकर खसरा नम्बर 384 में वर्तमान में आवागमन हेतु उपयोग–उपभोग कर रहे है जिससे धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र संधाराण योग्य नहीं होने से निरस्त किया जावे। इसी प्रकार राज्य सरकार जरिए तहसीलदार ने भी जवाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए प्रस्तावित रास्ते खसरा नम्बर 418, 419, 426/1, 511/426 व 425 बाबत रास्ता दिए जाने पर 1 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि रास्ते में प्रयुक्त होगी एवं खसरा नम्बर 430,

423 429 में रास्ता दिए जाने पर 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि रास्ते में प्रयुक्त होगी परंतु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 430, 423, 429 में रास्ता दिए जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। तत्पश्चात तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2021 की मद संख्या 3 व 4 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण अब तक अपनी खातेदारी में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 420 सरकारी गैर मुमकिन रास्ता (सिवायचक) कच्चा रास्ता से होकर खसरा नम्बर 423, 576/423, 424, 386 से होकर खसरा नम्बर 384 में आवागमन वर्तमान में कर रहे हैं जिसकी लम्बाई 1900 फुट दूरी की है जबकि प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट की मद संख्या 1 में वर्णित की कुल दूरी 1241 फुट ही है। जिससे वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मोजूद है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपने निर्णय दिनांक 22.7.2022 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 5 से 18 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए के तहत जो भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे तत्संबंधी नियमों में दो बातें स्पष्ट है कि नवीन रास्ता निकालने करने की आत्यांतिक आवश्यकता होनी चाहिए न कि केवल सुविधा के लिए और द्वितीय यह कि विशेषकर नवनी रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 382, 383, 384 में कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2021 की मद संख्या 3 व 4 में वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 420 सरकार गैर मुमकिन रास्ता कच्चा रास्ता से होकर खसरा नम्बर 423, 576/423, 424, 386 से होकर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 384 में कृषि कार्य हेतु आने-जाने हेतु उपयोग-उपभोग पूर्व समय से आज तक करते चले आ रहे है जो वर्तमान में भी प्रार्थीगण द्वारा उपयोग-उपभोग में लिया जा रहा है। जिससे प्रस्तावित रास्ता /नवीन रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने से केवल सुविधाजनक स्थिति के आधार पर कि प्रस्तावित रास्ता या नवीन रास्ता की लम्बाई 1241 फुट ही है और वैकल्पिक रास्ते की लम्बाई 1900 फुट दूरी होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण की सुविधा के आधार पर कम दूरी का नवीन रास्ता/प्रस्तावित रास्ता नहीं दिया जा सकता जबकि वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में आने-जाने व उपयोग-उपभोग हेतु पूर्व समय से आज तक वैकल्पिक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

रास्ता तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनुसार उपयोग–उपभोग में लिया जा रहा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र ही संधारण योग्य नहीं था। जिसकों नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में जाने हेतु पहले से ही जहां वैकल्पिक रास्ता मौजूद व चालू है तो सुविधा के लिए लघुत्तम व कम दूरी का नया रास्ता यनहीं दिया जा सकता था परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण को अवाछित लाभ पहुंचाने की गरज से रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों पर सरसरी तौरा पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण द्वारा खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु चाहे गए खसरा नम्बर 426/1 511/426 व 425 में रास्ता दिए जाने पर 1 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होगी। दूसरी ओर खसरा नम्बर 430, 423, 429 में रास्ता दिए जाने पर 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि रास्ते में प्रयुक्त होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण की सुविधा को भी उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ द्वारा देखा जाता तो कम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 430, 423, व 429 में दिया जाना चाहिए था परंतु जहां रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण के आवागमन हेतु पूर्व समय से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से यह सभी तथ्य गौण हो जाते है। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 जो कि एक आज्ञापक आदेश है की पालना किए बिना मौके व रिकार्ड की वास्तविक स्थिति के विपरीत जाकर कानूनी व विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण ने विरोधाभापी कथन करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया क्योंकि रेस्पोडेंटस ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 पूर्वजों के समय से खसरा नम्बर 418, 419, 426/1, 511/426, 425 में से आना–जाना बता रहे है जबकि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में खसरा नम्बर 425 में रास्ता होना बताकर दिनांक 1.7.2018 को बंद करना बता रहे है। इस प्रकार यदि रास्ता चालू है और बंद कर दिया गया है तो उक्त बंद रास्ते को खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ ने इस तथ्य पर गौर नहीं कर कानूनी व विधिक स्थिति के विपरीत जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4/प्रार्थीगण को अवांछित लाभ पहुंचाने की गरज से आदेश अंतर्गत अपील पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर0आर0टी 2021(2) पेज 1286, आर0बी0जे 2017 पेज 687.

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 04 ने दौराने जवाब/ बहस अपील में कथन किया कि अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 382 रकबा 6 बिस्वा बाडा खसरा नम्बर 383 रकबा 7 बिस्वा गै0म0 चाह खसरा नम्बर 384 रकबा 45 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 46 बीघा भूमि ग्राम पींगलोद,

पटवार हल्का पीगलोद तहसील रूपनगढ में अवस्थित है उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण के पूर्वज कृषि कार्य करते चले आ रहे है उनके स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थीगण कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा उक्त कृषि आराजी पर अप्रार्थीगण के पिता व पति रामधन ग्राम पींगलोद से आकर कुंए पर ही मकान बना लिए तब से वह तथा उनके स्वर्गवास पश्चात अप्रार्थीगण कृषि कार्य व निवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजी पर आने जाने कृषि उपज लाने ले जाने चारा खाद बीज तथा मकान निर्माण सामग्री आदि लाने ले जाने हेतु एक मात्र रास्ता ग्राम पींगलोद से कल्याणीपुरा जाने वाली रोड है जो आम रास्ता खसरा नम्बर 409 है। उक्त सड़क में अप्रार्थीगण का कृषि आराजी पर आने जाने जानवर सामान कृषि उपज निर्माण सामग्री लाने ले जाने हेतु पैदल टेक्टर, ट्रोली,ट्रक आदि से लाने ले जाने हेतु मुख्य रोड से पश्चिम दिशा की ओर खसरा नम्बर 418, 419, 426, 511/426, 425 की कृषि आराजीयात के दक्षिणी सींव के सहारे चलकर अप्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 382, 383, 384 पर आने जाने हेतु ट्रेक्टर, ट्रोली,ट्रक आदि कृषि उपज आदि हेतु पूर्वजों के समय से शांति पूर्वक लाते ले जाते रहे हैं। उक्त अप्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा यह रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने हेतु सबसे सुगम व लघु रास्ता है जो बिना किसी रोक टोक के काम में लेते आ रहे है। दिनांक 1.7.2018 को प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 425 की आराजी में जो रास्ता उपयोग, उपभोग में आ रहा था उसे जबरन ट्रेक्टर चलाकर जोत कर फसल की बुवाई कर दी उससे अप्रार्थीगण का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी कोई रास्ता नहीं है। तब अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 429, 427, 430 के खातेदारों से हाथा–जोडी करके आने जाने का रास्ता निवेदन कर मांगा तब अपने बच्चों को स्कूल भेजा गयां उक्त अप्रार्थीगण का रास्ता कम से कम 20 फीट चौडा पींगलोद कल्याणीपुरा रोड से खसरा नम्बर 418, 419, 426/1, 511/426 तथा खसरा नम्बर 425 की कृषि आराजी क दक्षिण सींव के सहारे–सहारे 20 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण की कृषि आराजी खसरा नम्बर 384 की पूर्वी सींव तक खसरा नम्बर 425, 511/426, 426/1, 418, 419 के सभी खसरा नम्बरों की दक्षिणी सींव के सहारे–सहारे 20 फीट चौडा रास्ता पींगलोद कल्याणीपुरा रोड अजमेर सीकर मेगा हाईवे की पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार प्रदान करावे। अप्रार्थीगण डी0एल0सी दर की दुगनी राशि उक्त रास्ते की नाप चोक करवाकर न्यायालय में जमा कराने को तैयार है। ग्राम पींगलोद से कल्याणीपुरा रोड से अप्रार्थीगण की कृषि आराजी पर आने जाने वाले रास्ते पर खसरा नम्बर 418, 419 की कृषि आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी तथा खसरा नम्बर 511/426, 425 की आराजी प्रार्थी संख्या 3 की है। अप्रार्थीगण के पूर्वज रामधन तथा उनकी मृत्यु पश्चात अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जुताई, बुवाई तथा ट्रेक्टर,ट्रोली आदि से कृषि उपज चारा आदि लाने ले जाने हेतु उक्त रास्ते को ही अपनी कृषि आराजी पर आने जाने उपयोग उपभोग करने हेतु काम मे लेतें आ रहे थे उसकी खंदक भी मौके पर आज भी बनी हुई है जिसकी व रास्ते को जोतने बोने की फोटों संलग्न है। उक्त रास्ते को दिनांक 1.7.2018 को बंद करने के कारण प्रार्थना पत्र का कारण उत्पन्न हुआ जो सबसे लघुत्तम रास्ता है तथा अप्रार्थीगण की अधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

कृषि आराजी खराब न हो इसलिए केवल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान कराने की कृपा करावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तथा जवाब का विश्लेषण कर निर्णय पारित किया है जिसमें स्पष्टतया उल्लेख है कि खसरा नम्बर 429, 427, 430, में से रास्ता दिये जाने पर न्यूनतम दूरी बनती है परन्तु खसरा नम्बर 418, 419, 426, 511/426 व 425 में दूरी का फर्क नगण्य है क्योकि खसरा नम्बर 429, 427, 430 में रास्ते दिये जाने पर रास्ते का रकबा 1-08-00 बीघा बनता है तथा खसरा नम्बर 418, 419, 426, 511/426 व 425 में से रास्ता दिये जाने पर रकबा 1-08-10 बीघा बनता है जो कि न्यगण्य हैं एवं खसरा नम्बर 429, 427, 430 में से रास्ता दिये जाने पर 50 हरे वृक्षों का नुकसान होने की संभावना है जिससे पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना-पत्र उक्त अपील के साथ अपील संख्या 218/2022 रामी बनाम हरिराम के साथ उक्त अपील के साथ एकजाई किए जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दोनों अपीलों में अपीलांट का समान हित होने से उक्त अपीलों की सुनवाई एक साथ किया जाना न्यायसंगत है। हमने उक्त प्रार्थनापत्र बाबत उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावलियों का अवलोकन किया अवलोकन करने पर पाया कि हाजा न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.7.2022 प्रकरण संख्या 25/18 बउनवानी हरिराम बनाम रामी के विरूद्ध उक्त अपील के साथ एक अन्य अपील संख्या 218/2022 बउनवानी रामी बनाम हरिराम प्रस्तुत हुई है चूंकि उक्त दोनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है तथा उक्त अपील से संबंधित तथ्य एवं वादग्रस्त आराजीयात एक ही होने के कारण उक्त दोनों अपीलों को एकजाई कर दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ कर दोनों अपीलों बाबत एक साथ आदेश किया जाना उचित समझते हैं।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 382 रकबा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 383 बिस्वा 7 खसरा नम्बर 384 रकबा 45 बिस्वा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 46 बीघा जो कि ग्राम पींगलोद पटवार हल्का पींगलोद तहसील रूपनगढ में अवस्थित है आने जाने हेतु मुख्य सडक से लगते हुए खसरा नम्बर 418, 419, 426, 511/426 व 425 में से आने जाने हेतु रास्ते हेतु प्रस्तुत किया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित तहसीलदार रूपनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट तलब कि जिसकी पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा विधिवत रूप से मौका रिपोर्ट दिनांक 23.7.2020 एवं दिनांक 3.11.2021 प्रस्तुत की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात उनके समक्ष लंबित प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्ष को समान रूप से जवाब एवं बहस का समुचित अवसर प्रदान कर विधिनुसार उक्त आदेश दिनांक 22.7.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

CamScanner

पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत खसरा संख्या 430, 427, 429 के खातेदारानों की सूची भी उपलब्ध करवाने हेतु सूची तलब कि तथा उक्त व्यक्तियों को भी अपने आदेश दिनांक 14.7.2022 को उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकारान होने के कारण पक्षकार संयोजित कर उन्हें समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा अपने आदेश में स्पष्टतया यह उल्लेख किया गया कि खसरा नम्बर 429, 427, 430, में से रास्ता दिये जाने पर न्यूनतम दूरी बनती है परन्तु खसरा नम्बर 418, 419, 426, 511/426 व 425 में दूरी का फर्क नगण्य है क्योकि खसरा नम्बर 429, 427, 430 में रास्ते दिये जाने पर रास्ते का रकबा 1–08–00 बीघा बनता है तथा खसरा नम्बर 418, 419, 426, 511/426 व 425 में से रास्ता दिये जाने पर रकबा 1–08–10 बीघा बनता है जो कि न्यगण्य हैं एवं खसरा नम्बर 429, 427, 430 में से रास्ता दिये जाने पर 50 हरे वृक्षों का नुकसान होने की संभावना है जिससे पर्यावरणीय क्षति हो सकती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में वर्णित चारो मूलभूत बिन्दुओं का न्यायिक मतिष्क का उपयोग कर पत्रावली पर उपलब्ध समस्त जवाब प्रार्थना पत्र एवं मौका रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात उक्त आदेश दिनांक 22.7.2022 पारित किया है जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि इत्यादि नहीं पाई जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.7.2022 को यथावत रखे जाना उचित समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत होने से हाजा न्यायालय उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेंप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 25/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर